

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-03-2016-VII-6-531.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Bhainsdehi Tehsil of District Betul from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 01 to 54 (total 54 Halkas) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore of Tehsil Bhainsdehi and Creates a new Tehsil Bhimpur comprising of Patwari Halka No. 01 to 54 (total 54 Halkas) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore in which the total Patwari Halkas shall be 54 and Village shall be 154. The headquater of the said Tehsil shall be at Bhimpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018
आदेश

क्रमांक एफ 01-11-2016-सात-शाखा 6-533.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उमरिया की तहसील चंदिया की सीमाएं, उसमें से, तहसील चंदिया के राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 (कुल 16 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्र. 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 (कुल 16 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिलासपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 16 पटवारी हल्के होंगे तथा 76 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बिलासपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-11-2016-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11-2016-सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-11-2016-VII-6-533.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Chandia Tehsil of District Umaria from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas) of Revenue Circle Bilaspur of Tehsil Chandia and Creates a new Tehsil Bilaspur comprising of Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas) of Revenue Circle Bilaspur in which the total Patwari Halkas shall be 16 and Village shall be 76. The headquater of the said Tehsil shall be at Bilaspur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ-15-04-2018-सात-6-320.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व